

बिहार सरकार
कला एवं संस्कृति विभाग

ज्ञाप सं०-2/वि.60-246/2023-
सेवा में,

पटना, दिनांक- / 2026

महालेखाकार, बिहार
पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम योजना अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय जिला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के निमित्त प्रति जिला 2.00 लाख की दर से कुल ₹ 8.00,000/- (आठ लाख रुपये) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

- राशि का विकलन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-08 के अधीन बजट शीर्ष "2205- कला एवं संस्कृति-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 0101-कला और संस्कृति का संवर्द्धन विपत्र कोड-08-2205001020101 के अंतर्गत विषय शीर्ष 2002 कान्फ्रेंस, कार्यशाला सेमिनार में होगा।
- इस राशि की निकासी जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय द्वारा अपने जिला के जिला कोषागार से की जायेगी। संबंधित जिला पदाधिकारी उक्त राशि से जिला के उग्रवाद प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में कार्यक्रम करावेंगे। साथ ही राशि का व्यय वित्त संशोधन नियमावली 2024, बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024, बिहार संहिता तथा वित्त विभागीय सकल्पों के आलोक में किया जायेगा।
- जिला पदाधिकारी द्वारा विषयांकित कार्यक्रम का आयोजन स्वीकृत राशि के अंतर्गत ही हो इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त राशि का कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं व्यय विवरणी, विडियो, फोटोग्राफ आदि एक माह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- यह स्वीकृति वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं वित्त विभाग के सकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में दी गयी है।
- उक्त प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सं०-2/वि.60-246/2023 के पृष्ठ-52/टि०, दिनांक-29.07.2026 एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ-51/टि०, दिनांक-17.07.2026 पर प्राप्त है।
- वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि (2) दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(रुबी)

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।

ज्ञाप सं० 24/

पटना, दिनांक 24/8/2026

प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी/जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, सांस्कृतिक कार्य/प्रशाखा पदा०-1 एवं 2/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/प्रबंधक, आई०टी० (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य।